केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 23353503, फैक्स : 23753923

याचिका सं. 30/टीएल/2022 दिनांक : 30.05.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड, यूनिट नंबर 101, प्रथम तल, विंडसर ग्राम, कोलेकल्याण ऑफ सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, सेंटाक्रूज (पूर्व), मुंबई–400098, महाराष्ट्र द्वारा निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव (बीओओएम) आधार (इसके बाद "पारेषण प्रणाली" या "परियोजना" के रूप में उल्लिखित) पर "महाराष्ट्र में उस्मानाबाद क्षेत्र (1 जीडब्ल्यू) में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है:

महाराष्ट्र में उस्मानाबाद क्षेत्र (1 जीडब्ल्यू) में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली

क्रम सं.	पारेषण घटकों का कार्य–क्षेत्र	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	कल्लम पीएस के समीप 2x500 एमवीए, 400/220 केवी सबस्टेशन की स्थापना 2x500 एमवीए, 400/220 केवी 400 केवी आईसीटी बे–2 220 केवी आईसीटी बे–2 400 केवी लाइन बे–4 220 केवी लाइन बे–4 भावी प्रावधानों के लिए स्थानः बे के साथ 400/220 केवी आईसीटीः 2 नंबर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्थान सहित 400 केवी लाइन बेः 6 नंबर 220 केवी लाइन बेः 4 नंबर बे के साथ 400 केवी बस रिएक्टरः 1 नंबर	18 मास
2.	कल्लम पीएस 400 केवी रिएक्टर बे पर 1x125 एमवीएआर बस रिएक्टर–1	18 मास
3.	कल्लम पीएस पर पर्ली (पीजी) – पुणे (जीआईएस) 400 केवी डी/सी लाइन के दोनों सर्किटों का लीलो	18 मास
4.	कल्लम – पुणे (जीआईएस) 400 केवी डी/सी लाइन 2x50एमवीएआर, 400 केवी रिएक्टर बे के कल्लम पीएस अंत पर 400 ओएचएमएस एनजीआर के साथ नई 50एमवीएआर स्विचेबल लाइन का प्रावधान – 2	18 मास

नोट :
स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्थान सहित 400 केवी लाइन बे के लिए भावी प्रावधान के लिए स्थान रखा गया।

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलेपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹167.36 मिलियन के निम्नतम समानीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु सिफारिश की है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 30/टीएल/2022 में दिनांक 27.5.2022 के आदेश द्वारा ऊपर पैरा 1 में यथा उल्लिखित पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
5. कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित किए गए आवेदन की प्रति वेबसाइट www.indigrid.co.in पर देखी जा सकती है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित की जा सकती है।
6. अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (क) के अनुसरण में एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि यथा पूर्वोक्त, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव के प्रति सुझाव या आपत्ति, यदि कोई हो, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 14.6.2022 तक उपर्युक्त पते पर भेजे जा सकते हैं। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा आवेदन पर सम्यक् अनुक्रम में आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति, जो सुझाव या आपत्ति दायर करता है, अपने विवेक से सुनवाई में उपस्थित हो सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा किसी टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव